

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 मई 2016—वैशाख 13, शक 1938

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2016

क्र. एफ 1-5-2010-सात-4 ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची-पांच में,—

1. “मद क्रमांक-3 चयन” के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“3 चयन-नियुक्ति के लिए चयन इस योजना के अधीन आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.”

2. “मद क्रमांक-4 परीक्षा” के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“4. परीक्षा—(1) प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष या ऐसे अंतरालों पर, ऐसी तारीख तथा ऐसे स्थान या स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जो प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा विनिश्चित की जाए;

(2) प्रमुख राजस्व आयुक्त परीक्षा का आयोजन एम. पी. आनलाईन के माध्यम से आयोजित करेगा;

(3) परीक्षा में 02 प्रश्न-पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंक का होगा तथा 2.30 घंटे की अवधि का होगा;

(4) प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा;

(5) परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन जिसमें आवेदन का प्ररूप एवं परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया समाविष्ट होगी, प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा.”

3. “मद क्रमांक-5” के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“5 वरिष्ठता—इस योजना के अधीन नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता, योग्यता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची पर आधारित होगी.”

क्र. एफ 1-5-2010-सात-4 ए.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Junior Administrative Service (Recruitment and Service Condition of Service) Rules, 2011, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule V,—

1. for item number 3, the following item shall be substituted, namely:—

“3 Selection.—Selection for appointment under this scheme shall be made on the basis of marks obtained in examination held under this scheme.”

2. for item number 4, the following item shall be substituted, namely:—

“4 Examination.—(1) An examination shall be conducted by the Principal Revenue Commissioner, Madhya Pradesh, Bhopal every year or at such interval on such date and such place or places as may be decided by the Principal Revenue Commissioner.

(2) Principal Revenue Commissioner shall organize the examination through the Madhya Pradesh Online.

(3) In the examination, there shall be two question papers, each shall carry 100 marks and shall have a duration of 2.30 hours.

(4) Question papers shall be of objective type.

(5) Advertisement for examination which shall contain Form of Application and detail procedure of examination, shall be fixed by the Principal Revenue Commissioner.”

3. For item number 5, the following item shall be substituted, namely:—

“The inter se seniority of the ministerial employees appointed as Naib Tahsildar under this scheme shall be based on the merit according to the selection list prepared.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवि डफरिया, उपसचिव.